



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone/ Fax:- 0135-2531424/2530431 E-mail: eicpwduk@nic.in
Web-http:// pwd.uk.gov.in

पत्रांक- 39 /37कैम्प/वा0गो0आ0-2/2022

दिनांक- 25 मार्च, 2022

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय/रा0मा0/ए0डी0बी0/विश्व बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0,
लोक निर्माण विभाग,
अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पौड़ी/देहरादून।

विषय- राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख', 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-22 से 'ऑन लाईन' अंकित किये जाने हेतु जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)के सम्बन्ध में।

संदर्भ- शासन के पत्रांक-24097/III(1)/2022-01(11)अधि0/2014 दिनांक 23 मार्च 2022

उपरोक्त संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख', 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-22 से 'ऑन लाईन' किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सर्तकता विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-78/XXX(2)/2022-55(26)/2002 दिनांक 11.02.2022 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अभियन्ताओं (कनिष्ठ अभियन्ता से प्रमुख अभियन्ता स्तर तक) की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को 'ऑन लाईन' अंकित किये जाने के सम्बन्ध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निर्धारित की गयी है एवं उक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) वर्ष 2021-22 से प्रभावी होगा, जिसका कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में शासन के पत्रांक 24097/III(1)/2022-01(11)अधि0/2014 दिनांक 23 मार्च 2022 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से अनुपालन करते हुये अपने अधीनस्थ एवं वृत्तीय/खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत अभियन्ताओं को उक्त SOP का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठाण),

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासन के पत्रांक 24097/III(1)/2022-01(11)अधि0/2014 दिनांक 23 मार्च 2022 की प्रति संलग्न सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता(नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0.....उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0.....उत्तराखण्ड।
7. अधिशासी अभियन्ता(आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु। संलग्न-यथोपरि।
8. समस्त अभियन्तागण, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठाण),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
24/3/22

097/2022

097/2022

24/03/22

24/03/22

CE (Est)

प्रमुख अधिकारी
लो. नि. वि.

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-24097/111(1)/2022-01(11)अधि0/2014

देहरादून, दिनांक 23 मार्च, 2022

कार्यालय ज्ञाप

SSO(E)-1/

SPA

(अशोक कुमार)

मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठाता)

198

राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत श्रेणी 'क', 'ख', 'ग' के कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-22 से 'ऑन लाइन' अंकित किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-78/XXX(2)/2022-55(26)/2002, दिनांक 11.02.2022 के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत अभियन्ताओं (कनिष्ठ अभियन्ता से प्रमुख अभियन्ता स्तर तक) की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को 'ऑन लाइन' अंकित किये जाने के सम्बन्ध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

- i. 2021-22 से विभाग के श्रेणी 'क', 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों की ACR केवल Online ACR पोर्टल (<https://mis.pwduk.in.hrms>) के माध्यम से ही भरी जायेगी, जिसका मैनुअल लोक निर्माण विभाग की वेबसाइट (<https://mis.pwduk.in/dms/index.php/category/288-acr>) पर उपलब्ध कराया जायेगा। लोक निर्माण विभाग के सभी कार्मिक/अभियन्ता ACR PORTAL पर अपने ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर की प्रविष्टि एवं वेरीफिकेशन की प्रक्रिया दिनांक 31.03.2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
- ii. लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा समय-समय पर निर्गत/संशोधित आदेशों के अनुरूप वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में मन्तव्य अंकित किये जाने हेतु प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण किया जायेगा।
- iii. कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-78/XXX(2)/2022-55(26)/2002, दिनांक 11.02.2022 के अनुसार वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकन की समय सारणी निम्नानुसार निर्धारित है:-

प्रशासकीय विभाग के अधिष्ठाता द्वारा 'ऑन लाइन' मूलभूत सूचनाएं/Work Flow निर्गत किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित कार्मिक स्वमूल्यांकन आख्या अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	समीक्षक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित किये जाने की अंतिम तिथि।	सम्बन्धित कार्मिक को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि संसूचित किये जाने की अंतिम तिथि।
31 मई	30 जून	31 जुलाई	31 अगस्त	30 सितम्बर	15 अक्टूबर

उक्त समय-सारणी के अनुसार 'ऑन लाइन' मूलभूत सूचनाएं/Work flow निर्गत किये जाने की अन्तिम तिथि प्रत्येक वर्ष 31 मई तक सम्बन्धित कार्यालय के अधिष्ठाता वर्ग द्वारा अपने कार्यालय के समस्त कार्मिकों की ACR, PORTAL पर सृजित (Generate) की जायेगी तथा ACR अंकन की अवधि एवं सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी के नाम को सेवा अभिलेखों के आधार पर परीक्षण कर अंकित किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक द्वारा उक्त विवरण स्वयं ACR, PORTAL पर अंकित कर दिया गया है तो उसका परीक्षण भी वर्ग स्तर पर किया जायेगा। कार्मिक के प्रतिवेदक अधिकारी, कार्यभार/तैनाती के मूल आदेश के अनुसार ही होंगे। मूल पृष्ठ/Work Flow में समस्त सूचनाएं अंकित करने के उपरान्त स्वमूल्यांकन आख्या भरे जाने हेतु ACR Portal पर उपलब्ध कराते हुए सम्बन्धित कार्मिक को E-Mail/Message द्वारा सूचित किया जायेगा।

- iv. प्रत्येक कार्मिक द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण (Immovable Property Return) पूर्व की भाँति अपने

कार्यालय में जमा करेंगे तथा जिसकी तिथि ACR PORTAL पर भी अंकित की जायेगी।

- v. प्रत्येक कार्मिक द्वारा उपरोक्तानुसार ACR में ऑनलाइन स्वमूल्यांकन आख्या भरने के उपरान्त प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी को टिप्पणी अंकित करने हेतु ऑनलाइन प्रेषित की जायेगी तथा सभी सूचनायें Telegram Application के माध्यम से भी प्रदान की जायेगी।
- vi. कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-78/XXX(2)/2022-55(26)/2002, दिनांक 11.02.2022 द्वारा निर्धारित समय अवधि के अन्दर ही प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी टिप्पणी अंकित करेंगे।
- vii. उपरोक्तानुसार जिन कार्मिकों द्वारा निर्धारित समय में PORTAL पर ACR में स्वमूल्यांकन आख्या नहीं भरी जायेगी, उनके अधिष्ठान द्वारा भरी गई मूलभूत सूचना/Work flow के आधार पर ACR टिप्पणी अंकित करने हेतु निर्धारित अवधि के उपरान्त स्वतः ही प्रतिवेदक अधिकारी को ACR PORTAL पर अग्रसारित (Forward) हो जायेगी। यदि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भी निर्धारित अवधि में टिप्पणी अंकित नहीं की जाती है तो निर्धारित अवधि के उपरान्त स्वतः ही समीक्षक अधिकारी के पास टिप्पणी अंकित करने हेतु ACR अग्रसारित हो जायेगी, इसी प्रकार यदि समीक्षक अधिकारी द्वारा भी निर्धारित अवधि में टिप्पणी अंकित नहीं की जायेगी तो ACR स्वतः अगले स्तर पर अग्रसारित हो जायेगी।
- viii. स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा ACR में मंतव्य अंकित करने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक को E-MAIL के माध्यम से उसकी ACR संसूचित कर दी जाएगी।
- ix. ACR के विरुद्ध प्रत्यावेदन और समयबद्ध मामलों का निपटारा पूर्व की भांति उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/सन्तोषजनक, उत्तम, अतिउत्तम, उत्कृष्ट वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का प्रकटीकरण एवं उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 के अनुसार होगा।
- x. उपरोक्तानुसार सभी कार्मिकों की Online अंकित की गयी ACR, मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान) के मुख्य वैयक्तिक अधिकारी/वैयक्तिक अधिकारी/वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक/वैयक्तिक सहायक के LOGIN ID में पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
- xi. वर्ष 2021-22 में किसी कार्मिक की किसी एक या अधिक भाग की ACR, यदि प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारी में से किसी के सेवानिवृत्ति हो जाने के दृष्टिगत पूर्व में ही भरी जा चुकी है, तो ऐसे कार्मिकों को उक्त भाग की ACR, ONLINE PORTAL पर पुनः भरे जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) वर्ष 2021-22 से प्रभावी होगी, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

Signed by Ramesh Kumar

(Ramesh Kumar Saha)

Date: 22-03-2022 17:51:31
प्रमुख सचिव

संख्या- 24097/III(1)/22-01(11)/अधि0/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
- 3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- समस्त अभियन्तागण, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,